

## Order sheet [Contd]

case No: ba-243/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03/07/17	<p>आवेदक/अभियुक्त कमल किशोर द्वारा श्री एन.एस. तोमर अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>पुलिस थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 101/17 अंतर्गत धारा-354 एवं 454 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक कमल किशोर ने अपना स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना मालनपुर द्वारा उसके विरुद्ध एक झूठा गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जिस पर से पुलिस उसे गिरफ्तार करने हेतु प्रयत्नशील है। उसके चचेरे भाई द्वारा घरू बंटवारे के विवाद को लेकर उसे गलत रूप से उक्त झूठे अपराध में फंसाया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। कथित अपराध आजीवन कारावास के दण्ड या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर आपत्ति करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 25.06.17 को दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादिया सखीबाई माहौर ग्राम नौनेरा में अपने घर पर पनारे पर कपड़े उतार कर नहा रही थी। उसका पति गैलरी में सो रहा था तथा सास पड़ोस में गरीबदास के यहां शादी में गई थी। तभी उसका पड़ोसी कमल किशोर दरवाजे से अंदर घुसकर पनारे पर आ गया और बुरी नियत से उसे पकड़कर चपेट लिया तथा अश्लील गंदी हरकतें करने लगा, चिल्लाने पर उसका पति माताप्रसाद आ गया, जिसे देखकर कमलकिशोर भाग गया। फरियादिया की सास बादामी बाई भी आ गई थी। उन लोगों को उसने सारी घटना बताई, जिसकी रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गई।</p> <p>मामले के उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों, कमलकिशोर के कृत्य तथा संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आवेदन निरस्त किया जाता है।  केस डायरी आदेश की प्रति के साथ थाना मालनपुर की ओर वापस की जावे।  जमानत प्रपत्र नतीला दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर)  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  गोहद जिला भिण्ड</p>	